प्रकरण सं0 102/2022 तारीख दायर :- 4.02.2022 दिनांक निर्णय :-16.02.202

सरकार जरिये पटवारी हल्का पलवा तहसील राजगढ़ जिला अलवर

बनाम

रामनाथ पुत्र रामजीलाल जाति मीना निवासी डाबला मीना तहसील राजगढ़ अलवर

अन्तर्गत राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

आज पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का सक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि पट हल्का पलवा द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट आशय की पेश की गई की गैरसायल रामनाथ पुत्र रामजीलाल जाति मीना निवासी डाबला तहसील राजगढ़ जिला अलवर के द्वारा ग्राम डाबला मीना के गैर मु0 रास्ता आ0ख 373/0.10 में से रकबा 0.04 है0 भूमि पर सम्वत् 2078 के फसल रबी मे सरसो की फ काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है।

प्रकरण राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को नोटिस जारी किया गया। गैरसायल रामनाथ रामजीलाल जाति मीना उपस्थित आया। गैरसायल के द्वारा नोटिस जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। राजकीय सिवायचक गैर मु0 रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण के सम्बंध में पट हल्का पलवा के बयान दर्ज किये गये। पटवारी हल्का पलवा ने अपने बयान में कथन कि कि अतिक्रमी द्वारा पूर्व में भी फसल खरीफ सम्वत् 2076 में अतिक्रमण करने पर अतिक्रमी दिनांक 09.02.2021 को बेदखल कर दिया गया था। इस प्रकार अतिक्रमी पश्चात्वृति अति की श्रेणी में आता है।

पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत अतिक्रमण की पश्चात्वृति रिपोर्ट व बयान पटवारी व डायरी, घटना बही दिनांक 15.06.2021 में भी पूर्व में उक्त आराजी से अतिक्रमी को बे किया जाना साबित होने से अतिक्रमी का बार-बार उक्त गैर मु0 रास्ते की भूमि पर अति करना साबित होता है। गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की 91 के तहत पश्चात्वृति अतिक्रमी होने से अतिचारी को एक माह की सिविल कारावास की से दण्ड़ित किया जाता है। साथ ही शरह लगान की 1.00 की 50 गुणा में राशि 50.00/- पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। राजस्व लेखों में मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेख राजगढ़ व पटवारी हल्का पलवा को लिखा जावे। पटवारी हल्का व भू0अ0निरीक्षक को को कब्जे राज लेकर नीलामी हेतु लिखा जावे। एस.एच. ओ. राजगढ़ को गिरफ्तारी वांरट हो।

आज दिनांक 16.02.2022 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।